2009:CGHC:2388-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सी) संख्या 1711 / 2009</u>

<u>याचिकाकर्तागण</u> : डा. अभिषेक मिश्रा और अन्य

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> : छत्तीसगढ राज्य और अन्य

<u>" हेतु विचारणार्थ आदेश"</u>

सही/ -

श्री धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>माननीय श्री आर. एन. चन्द्राकर न्यायाधीश</u>

मैं सहमत हूं।

सही/-

श्री आर. एन. चन्द्राकर

न्यायाधीश

दिनांक 05 मई 2009 को आदेश हेतु सूचिबद्ध करें ।

सही/-

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सी) संख्या 1711 / 2009

याचिकाकर्तागण :

1. डॉ. अभिषेक मिश्रा, पिता श्री: अनिल कुमार मिश्रा, आयु: 26 वर्ष, वर्तमान निवास: मकान संख्या 486, ब्लॉक 5 बी, चाणक्य कॉम्प्लेक्स, देवेंद्र नगर, सेक्टर-3, रायपुर (छत्तीसगढ़)। स्थायी निवास: मकान संख्या बी-205 बीना प्रोजेक्ट, सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) पिन कोड: 231220

2. डॉ. मिल्टन देबबरम, पिता श्री सरत देबबरम, आयु लगभग 25 वर्ष, वर्तमान निवासी जे.आर. हॉस्टल, सिम्स, बिलासपुर स्थायी निवास ग्राम - लेफुंगा (पश्चिम), त्रिपुरा 799210

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. डॉ. कंगखम बुद्धचन्द्र, पिता श्री के. इबोचौबा, आयु लगभग 27 वर्ष, वर्तमान निवास: कक्ष संख्या आर-3, आर. हॉस्टल, सिम्स, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), स्थायी निवासी: हाओबम मरक इम्फाल, मणिपुर।

4. डॉ. अतनु सरकार, पिता श्री भापति चरण सरकार, आयु लगभग 26 वर्ष, वर्तमान निवास: कक्ष संख्या 21, पुराना बॉयज़ हॉस्टल, पं. जे.एन.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़), स्थायी निवासी: सरकार मेडिकल हॉल, सोनामुड़ा, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा।

5. डॉ. सुशील कुमार राय, पिता श्री बब्बन प्रसाद राय, आयु लगभग 28 वर्ष, वर्तमान निवास: कक्ष संख्या आर -2, जे.आर. हॉस्टल, सिम्स, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), स्थायी निवासी: ग्राम - सुरवत, डाकघर - पल्ली, जिला - गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)।

6. डॉ. दीपक गुप्ता, पिता श्री रमाकान्त गुप्ता, आयु लगभग 26 वर्ष, वर्तमान

निवास: पुराना बॉयज़ हॉस्टल, कक्ष संख्या 40, चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़), स्थायी निवासी: केयर आफ श्री बलवीर प्रसाद जनरल मर्चेंट, गांधी चौक, फतेहाबाद, आगरा (उत्तर प्रदेश)।

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> :

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर ।

2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, डी.के.एस. भवन, रायपुर।

3. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर, रायपुर।

4. भारतीय चिकित्सा परिषद, **ऐवान**-ए-ग़ालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली – 110002

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा के साथ अधिवक्ता श्री के. शर्मा अधिवक्ता याचिकाकर्तागण की ओर से।

अधिवक्ता श्री किशोर भादुडी अतिरिक्त उप महाधिवक्ता राज्य, उत्तरवदी संख्या 1 और 2 की ओर से।

अधिवक्ता श्री समीर बेहर अधिवक्ता उत्तरवदी संख्या 3 की ओर से ।

युगल पीठ : माननीय श्री श्री धीरेन्द्र मिश्रा न्यायाधीश और

माननीय श्री आर. एन. चंद्राकर न्यायाधीश

<u>आदेश</u>

(दिनांक 5 मई 2009 को पारित किया गया)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा** द्वारा पारित किया गया:

1. याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान याचिका में निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों की प्रार्थना की गई है:-

- एक रिट या/उत्प्रेषण की प्रकृति का रिट या कोई अन्य रिट जारी की जाए, जिसके द्वारा प्री पी.जी. प्रवेश परीक्षा, 2009 की शर्त अर्थात धारा 6.2, जो यह निर्धारित करती है कि प्री पी.जी. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए, को भारत के नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली होने के कारण रद्द किया जाए।

- रिट और परमादेश की प्रकृति का रिट के स्वरूप में कोई आदेश जारी किया जाए, जिसके द्वारा समादिष्ट उत्तरवादी प्राधिकारियों को यह आदेश या निदेश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को स्वीकार करते हुए, याचिकाकर्ताओं को दिनांक 11.4.2009 को आयोजित होने वाली प्री पी.जी. प्रवेश परीक्षा, 2009 में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करें और यदि याचिकाकर्ता पी.जी. पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, तो उन्हें पी.जी. चिकित्सा पाठ्यक्रम में निर्धारित नियमों के अनुसार अध्ययन जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ताओं का संक्षिप्त मामला यह है कि उनका चयन ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट प्रवेश परीक्षा में हुआ था और तत्पश्चात भारत सरकार, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा उन्हें पं. जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, रायपुर में 15% आरक्षित ऑल इंडिया कोटा के तहत सीट आवंटित की गई थी। डिग्री प्राप्त करने के बाद, उन्होंने स्वयं का पंजीकरण छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल के साथ कराया (अनुलग्नक-पी/3) ।

3. याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज, रायपुर से एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्राप्त की है। उनका पंजीकरण राज्य मेडिकल काउंसिल द्वारा किया गया है और इस प्रकार, वे पूरे देश में चिकित्सा पेशा व्यवसाय करने के हकदार हैं। उनके प्रवेश के समय, छत्तीसगढ़ प्री पी.जी. प्रवेश परीक्षा नियमावली के नियम 6.2 के तहत प्रचलित पात्रता मानदंडों के अनुसार, वे प्री पी.जी. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र थे। हालाँकि, छत्तीसगढ़ प्री पी.जी. प्रवेश परीक्षा, 2009 की पात्रता मानदंडों में, छत्तीसगढ़ मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2004 (संक्षिप्त में 'नियम, 2004') के नियम 6.2 में संशोधन करके उनके लिए प्रतिकूल यह निर्धारित किया गया है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी को अन्य शर्तों के अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।

4. श्री बी.पी. शर्मा, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को निर्धारित ऑल इंडिया कोटा के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल कॉलेज, रायपुर में सीटें आवंटित की गई थीं। मूल निवासी होने की पात्रता मानदंड निर्धारित करके, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अथवा छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के लिए 100% सीटें आरक्षित की गई हैं, जो कि अनुचित है। यह संघीय राज्य की मूल संरचना का उल्लंघन करता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को भारत के किसी भी भाग में बसने और अपनी आजीविका के लिए कोई भी व्यवसाय करने की गारंटी देता है और इस प्रकार, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 का उल्लंघन करता है।

5. इस संदर्भ में **डॉ. प्रदीप जैन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य**[1]**, डॉ. पराग गुप्ता बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय एवं अन्य**[2]**, डॉ. प्राची अल्मेडा बनाम डीन, गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अन्य**[3]**, तथा सौरभ चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य**[4] के मामलों में दिए गए निर्णयों का सहारा लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत उत्तरवादी संख्या 1 और 2 ने अपने जवाबदावा के साथ-साथ मौखिक तर्कों में यह प्रस्तुत किया कि मेडिकल कॉलेज, रायपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कुल 40 सीटें उपलब्ध हैं। इन 40 सीटों में से 20 सीटें ऑल इंडिया प्री पीजी कोटा के लिए समर्पित की गई हैं, इसी प्रकार पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की 24 सीटों में से 12 सीटें पहले ही ऑल इंडिया पीजी कोटा के लिए समर्पित की जा चुकी हैं। वर्ष 2009 के शैक्षणिक सत्र के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा केवल राज्य की सीटों अर्थात 20 पीजी डिग्री + 12 पीजी डिप्लोमा के लिए है, इसलिए याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए पीजी पाठ्यक्रम की 100% सीटें आरक्षित की गई हैं, पूरी तरह से आधारहीन है। चूंकि पीजी पाठ्यक्रम की 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए खुली हैं, इसलिए कोई भी अभ्यर्थी, जो राज्य का मूल निवासी नहीं है, याचिकाकर्ताओं सहित ऑल इंडिया प्री पीजी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। डोमिसाइल (मूल निवास) के आधार पर पात्रता मानदंड की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा **सौरभ चौधरी एवं अन्य** (उपरोक्त) के मामले में बरकरार रखा गया है। यह याचिका भ्रामक है और इसे खारिज किए जाने योग्य है।

---

[1] (1984) 3 Supreme Court Cases 654
[2] (2000) 5 Supreme Court Cases 684
[3] (2001) 7 Supreme Court Cases 640
[4] (2003) 11 Supreme Court Cases 146

7. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है।

8. याचिकाकर्ताओं ने नियम, 2004 के नियम 6.2 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जिसे 20 फरवरी, 2009 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 28, 2002) (संक्षिप्त में 'अधिनियम, 2002') की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना द्वारा छत्तीसगढ़ मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2004 बनाए थे। उपर्युक्त नियमों का नियम 6 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड से संबंधित है। आक्षेपित संशोधन से पूर्व, नियम, 2004 के नियम 6.2 का सुसंगत भाग निम्नानुसार था:-

> "छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मेडिकल कॉलेज से एम.बी.बी.एस. (एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की सभी परीक्षाएँ) उत्तीर्ण की हो तथा जिस वर्ष प्री-पी.जी. परीक्षा आयोजित की जाए, उस वर्ष की 30 अप्रैल तक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी कर चुका/चुकी हो।"
>
> अथवा
>
> छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मेडिकल कॉलेज से एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं जिस वर्ष प्री-पी.जी. परीक्षा आयोजित की जाए, उस वर्ष की 30 अप्रैल तक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी कर चुका/चुकी हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. राज्य सरकार द्वारा 20 फरवरी, 2009 की अधिसूचना के माध्यम से उपर्युक्त नियमों में संशोधन किया गया। याचिकाकर्ता संशोधित पात्रता मानदंडों से असंतुष्ट हैं, जिनके अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध राज्य कोटा की सीटों के विरुद्ध

प्रवेश के पात्र बनाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि संशोधन से पूर्व, जिन अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ में स्थित तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण किया था, वे भी प्रवेश के पात्र थे। हालाँकि, वर्ष 2009 में किए गए नियमों में संशोधन द्वारा उपर्युक्त पात्रता मानदंड को हटा दिया गया है।

10. उत्तरवादीयों द्वारा दायर जवाबदावा में किए गए विवरणों, जिन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा विवादित नहीं किया गया है, से यह प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध कुल सीटों में से 50% सीटें ऑल इंडिया पी.जी. कोटा के लिए समर्पित कर दी गई हैं और नियम, 2004 के तहत आयोजित की जाने वाली परीक्षा केवल राज्य कोटा के अंतर्गत उपलब्ध शेष 50% सीटों में प्रवेश के लिए है।

11. इस याचिका में शामिल प्रश्न ये हैं:

- क्या डोमिसाइल (मूल निवास) के आधार पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आरक्षण अनुमेय है?
- क्या याचिकाकर्ता, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित महाविद्यालयों से चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया और एम.बी.बी.एस. की स्नातक डिग्री प्राप्त की, उन्हें केवल इस आधार पर उत्तरवादीयों द्वारा नियम, 2004 के तहत आयोजित की जाने वाली प्री पी.जी. प्रवेश परीक्षा में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है कि वे छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी नहीं हैं?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपरोक्त प्रश्न तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में अन्य संबद्ध प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनेक अवसरों पर विचारार्थ आए हैं। डॉ. प्रदीप जैन एवं अन्य के मामले में निर्धारित किए गए विधिक सिद्धांत आज भी सुसंगत हैं तथा इन्हें संविधान पीठ के सौरभ चौधरी एवं अन्य (उपरोक्त) मामले में दिए गए नवीनतम निर्णय द्वारा पुष्ट किया गया है।

13. डॉ. प्रदीप जैन एवं अन्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था - क्या संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप, किसी राज्य में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय या

किसी अन्य उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित किया जा सकता है "जिनका डोमिसाइल (मूल निवास) उस राज्य में है या जो एक निर्दिष्ट संख्या में वर्षों से राज्य के निवासी हैं, अथवा क्या उनके लिए प्रवेश में कोई आरक्षण किया जा सकता है ताकि योग्यता की परवाह किए बिना, उन्हें उन लोगों पर वरीयता दी जा सके जो राज्य के भीतर डोमिसाइल या निवास की योग्यता नहीं रखते हैं"? संविधान के भाग-3 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का विस्तृत विवेचन करते हुए, निम्नानुसार अवलोकन किया गया:-

> "6. किंतु, यह स्पष्ट है कि जहाँ तक एक चिकित्सा महाविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश का प्रश्न है, अनुच्छेद 16(2) का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए, यदि किसी राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु कोई निवास संबंधी आवश्यकता है, तो उसे अनुच्छेद 16(2) के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है। न ही अनुच्छेद 16(2) को ऐसी निवास संबंधी आवश्यकता को अमान्य करने के लिए लागू किया जा सकता है, क्योंकि वह अनुच्छेद जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिषेध करता है, न कि निवास के आधार पर और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा डी.पी. जोशी बनाम मध्य भारत राज्य (एआईआर 1955 एससी 334) के मामले में कहा गया है, निवास और जन्म स्थान 'विधि और तथ्य दोनों में भिन्न अर्थ धारण करने वाली दो भिन्न संकल्पनाएं हैं'। ऐसी निवास संबंधी आवश्यकता की जाँच एकमात्र संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर की जा सकती है और यही वह चुनौती है जिस पर हमें इन रिट याचिकाओं में विचार करना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों का विस्तृत विवेचन करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निवास संबंधी आवश्यकता के आधार पर आरक्षण, संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियम, जो राज्य के मूल निवासी होने अथवा राज्य में एक निश्चित संख्या में वर्षों तक निवास करने की आवश्यकता प्रदान करते हैं, को यथावत रखा गया है।

14. इस बिंदू पर बड़ी संख्या में निर्णयों को ध्यान में रखते हुए तथा संवैधानिक प्रावधानों और विधिक निर्णयों के विस्तृत विश्लेषण के पश्चात, निर्णय के कंडिका-22 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:-

> "अतः हम इस मत हैं कि जहाँ तक एम.एस., एम.डी. और इसी प्रकार के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश का प्रश्न है, राज्य के भीतर निवास संबंधी आवश्यकता या संस्थागत पसंद के आधार पर कोई आरक्षण प्रदान न करना अत्यंत वांछनीय होगा। किंतु, अवसर की समानता और शिक्षा में संस्थागत निरंतरता के व्यापक विचारों को ध्यान में रखते हुए, जिसका अपना महत्व और मूल्य है, हम यह निदेश देंगे कि यद्यपि राज्य के भीतर निवास संबंधी आवश्यकता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण का आधार नहीं होगी, वर्तमान परिस्थितियों में एक निश्चित प्रतिशत सीटों पर संस्थागत पसंद के आधार पर आरक्षण किया जा सकता है इस अर्थ में कि किसी छात्र जिसने किसी चिकित्सा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, को उसी चिकित्सा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पसंद दी जा सकती है, किंतु संस्थागत पसंद के आधार पर ऐसा आरक्षण किसी भी स्थिति में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध खुली सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह उच्चतम सीमा जो हम निर्धारित कर रहे हैं, वह भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा पुनरक्षीत न्युनतम सीमा के अधीन भी होगी, ठीक उसी प्रकार जैसा कि हमने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के मामले में निदेशित किया है। किंतु, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में भी, हम यह निदेश देंगे कि जहाँ तक न्यूरो-सर्जरी और कार्डियोलॉजी जैसी सुपर विशिष्टताओं का प्रश्न है, संस्थागत पसंद के आधार पर भी कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए और प्रवेश पूरी तरह से योग्यता के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर दिया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. डॉ. पराग गुप्ता (उपरोक्त) के मामले में, छात्रों को उनके मूल राज्य से भिन्न राज्यों में स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। वे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहते थे, हालाँकि, संबंधित राज्यों या प्राधिकारियों ने प्रवेश नियम इस प्रकार बनाए थे कि वे न तो उस राज्य में जहाँ वे

पढ़े थे और न ही अपने मूल राज्य में अध्ययन जारी रख सकते थे। उस मामले के याचिकाकर्ता की विशिष्ट शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:-

> "14. इस आधार पर हमारा विचार है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/विश्वविद्यालयों को उन छात्रों को, जिन्होंने अपने गृह राज्य से बाहर पाठ्यक्रम पूर्ण किए हैं, अपने गृह राज्य में आयोजित प्रवेश परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए, चाहे पीजी चिकित्सा पाठ्यक्रम में चयन के लिए किसी भी प्रकार की वरीयता अपनाई गई हो।"

16. डॉ. प्राची अल्मेडा (उपरोक्त) के मामले में, याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि उसे 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत गोवा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिया गया था। उसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश से इस आधार पर वंचित कर दिया गया कि वह गोवा विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों (गोवा मेडिकल कॉलेज) प्रवेश नियम, 1998 के तहत 10 वर्षों की अवधि के लिए गोवा राज्य में निवास संबंधी शर्तों को पूरा नहीं करती थी। इस बीच, याचिकाकर्ता का विवाह एक गोअन से हो गया था और वह गोवा में ही बस गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए उत्तरवादीयों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के मामले पर उस वर्ष के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विचार करें, जिसके लिए उसने आवेदन किया था, यदि वह अपने प्रदर्शन के आधार पर उस वर्ष अपने द्वारा चुने गए उपयुक्त पाठ्यक्रम के लिए चयनित हो सकती थी, बिना 10 वर्षों के निवास संबंधी आवश्यकता वाले नियम का संदर्भ लिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. डीन, गोवा **मेडिकल कॉलेज बनाम डॉ. सुधीर कुमार**[5] सोलंकी के मामले में, विचारणीय प्रश्न यह था - गोवा (गोवा मेडिकल कॉलेज में गोवा विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के) नियम, 1998 की संवैधानिक वैधता, जिसमें निम्नानुसार उपबंध किया गया था:

> "III. *पात्रता*, वरीयता और योग्यता क्रम
>
> (1) *पात्रता* - स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार:

[5] (2001) 7 SCC 645

(i) गोवा विश्वविद्यालय की एम.बी.बी.एस. डिग्री या किसी अन्य विश्वविद्यालय की डिग्री जिसे गोवा विश्वविद्यालय और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा समतुल्य मान्यता प्राप्त हो, धारण करते हों।

(ii) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक एक वर्ष की अनिवार्य चक्रीय इंटर्नशिप पूरी कर चुके हों।

(iii) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से पूर्व न्यूनतम दस वर्ष की अवधि तक गोवा राज्य में निवास किये हों।"

गोवा स्थित बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उत्तरवादियों के दावे को स्वीकार करते हुए यह निर्देश जारी किया कि प्रथम उत्तरवादी और अन्य समान स्थिति वाले छात्र, जिन्होंने उपरोक्त नियमों के तहत गोवा मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया था, उन पर यह दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाए कि नियम III (1)(iii) में निहित निवास संबंधी आवश्यकता निर्देशात्मक है। गोवा राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गोवा नियम, 1998 के नियम III (1)(iii) में किसी भी प्रकार की कोई दोष नहीं है और इसे केवल निर्देशात्मक या किसी भी कारण से अवैध नहीं कहा जा सकता है। वैधानिक रूप से निर्धारित पात्रता मानदंड को किसी भी तरह से निर्देशात्मक नहीं माना जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के चयन के मामलों में अनिश्चित स्थिति उत्पन्न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष सौरभ चौधरी एवं अन्य (उपरोक्त) के मामले में प्रश्न सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में निवास या संस्थागत आधार पर आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर केंद्रित था। उपरोक्त प्रश्न का निषेधात्मक उत्तर देते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:-

"29. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (1) के परिप्रेक्ष्य में निवास के आधार पर आरक्षण अनुज्ञेय नहीं है। अनुच्छेद 15 के खंड (1) में 'जन्म स्थान' शब्द आता है किंतु 'निवास' नहीं। यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 16(2) के बीच तुलना की जाए, तो यह प्रतीत होगा कि जहाँ पूर्ववर्ती केवल 'जन्म स्थान' का उल्लेख करता है, वहीं उत्तरवर्ती

जन्म स्थान के अतिरिक्त 'निवास' और 'निवास स्थान' दोनों का उल्लेख करता है। अतः संविधान निर्माताओं द्वारा स्वयं यह भेद किया गया है कि 'जन्म स्थान' शब्दावली 'निवास' शब्दावली का समानार्थी नहीं है और वे दो भिन्न संकल्पनाओं को दर्शाते हैं। यह सत्य हो सकता है, जैसा कि श्री साल्वे द्वारा इंगित किया गया और श्री नरीमन द्वारा अनुसरण किया गया, कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों के लिए दोनों शब्दावलियाँ समानार्थी प्रतीत होती थीं, किंतु हमारे मत में यह मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता। डी.पी. जोशी मामले में एक संविधान पीठ ने असंदिग्ध शब्दों में ऐसा ही अभिनिर्धारित किया था।"

30. यह पीठ उक्त निर्णय से बंधी हुई है।

31. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप टंडन {(1975) 1 एससीसी 267} में इस न्यायालय ने अवधारीत किया: (एससीसी पृ. 277, पैरा 29)

"29. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षण इस आधार पर बनाए नहीं रखा जा सकता कि ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह आरक्षण राज्य की बहुसंख्यक आबादी के लिए किया गया प्रतीत होता है। राज्य की अस्सी प्रतिशत आबादी एक समरूप वर्ग नहीं हो सकती। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षण का समर्थन करने हेतु वर्गीकरण का आधार नहीं बन सकती। गरीबी भारत के सभी भागों में पाई जाती है। सीटों के आरक्षण के निर्देशों में यह उपबंधित किया गया है कि आवेदन पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों से आरक्षित सीटों के लिए एक उम्मीदवार को जिला मजिस्ट्रेट का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुआ था और उसका वहां एक स्थायी घर है, और वह वहां रह रहा है या वह भारत में पैदा हुआ था और उसके माता-पिता और अभिभावक अभी भी वहां रहते हैं और वहां अपनी आजीविका कमाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म की घटना को मूल योग्यता बना दिया गया है। जन्म स्थान के आधार पर कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इस विषय पर पूर्व के निर्णयों का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात, डॉ. प्रदीप जैन के मामले में निर्धारित विधिक सिध्दांत की इस प्रकार पुष्टि की गई है:-

"70. अतः, हम इस न्यायालय द्वारा डॉ. प्रदीप जैन के मामले में निर्धारित सिध्दांत से विचलित होने का कोई कारण नहीं पाते हैं। हमारे निष्कर्ष का तार्किक परिणाम यह है कि संस्थागत पसंद के माध्यम से किया गया आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है।

"71. यद्यपि, समता के आधार पर किसी विधि की वैधता को बनाए रखने की कसौटी युक्तियुक्तता के साधन पर परखी जानी चाहिए। डॉ. प्रदीप जैन के मामले में यह देखा गया कि 50% तक का आरक्षण युक्तियुक्त माना गया था। हालाँकि बाद में, डॉ. दिनेश कुमार (II) के मामले {(1986) 3 एससीसी 727} में इसे कुल सीटों के 25% तक कम कर दिया गया। आरक्षण का वह प्रतिशत तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया गया था। अब स्थिति में काफी हद तक परिवर्तन आया है। बीस वर्ष बीत चुके हैं। इस अवधि में देश ने बड़ी संख्या में स्नातकोत्तर चिकित्सक तैयार किए हैं। हमारा संविधान अपनी प्रकृति में जैविक है। एक सजीव अंग होने के नाते, यह निरंतर चलने वाला है और समय बीतने के साथ, विधि को परिवर्तित होना ही चाहिए। संवैधानिक विधि के क्षितिज का विस्तार हो रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"72. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, हमारा मत है कि डॉ. दिनेश कुमार (II) मामले के बजाय डॉ. प्रदीप जैन मामले में निर्मित मूल योजना को पुनः अभिपुष्ट किया जाना चाहिए। अतः, संस्थागत पसंद के माध्यम से आरक्षण 50% सीटों तक सीमित रहना चाहिए क्योंकि यह जनहित में है।"

20. यदि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांतों के प्रकाश में, जैसा कि पूर्वगामी कण्डिकाओं में विस्तृत रूप से चचौ की गई है, वर्ष 2009 में संशोधन द्वारा नियम, 2004 में शामिल किए गए आक्षेपित प्रावधानों का परीक्षण करें, तो हम अवलोकन करते हैं कि निर्विवाद रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उपलब्ध कुल सीटों के 50% को ऑल इंडिया कोटा आवंटित किया गया है और इसे अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरा जाना है तथा प्री पीजी प्रवेश परीक्षा राज्य के महाविद्यालयों में उपलब्ध शेष 50% सीटों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। संवैधानिक आदेश के अनुसार, उपरोक्त सीटों में से 15% सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के

अभ्यर्थियों के लिए, 21% सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए और 14% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। स्नातकोत्तर डिग्री की कुल 6 सीटें और स्नातकोत्तर डिप्लोमा की 2 सीटें राज्य सरकार के अधीन कार्यरत और उनके द्वारा प्रायोजित सहायक शल्य चिकित्सकों के लिए आरक्षित हैं।

21. राज्य द्वारा दायर जवाबी शपथपत्र के अनुसार, राज्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 40 सीटें तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 24 सीटें उपलब्ध हैं और इस प्रकार, राज्य कोटा के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की केवल 20 सीटें तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की 12 सीटें उपलब्ध हैं। याचिकाकर्ता, जिन्हें 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश दिया गया था, राज्य सरकार द्वारा समर्पित 50% सीटों के लिए आयोजित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की उक्त प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता अपने मूल राज्यों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु आरक्षित राज्य कोटा के विरुद्ध भी भाग ले सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. याचिकाकर्ताओं के इस तर्क के संबंध में कि जब उन्हें ऑल इंडिया कोटा के तहत एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित किया गया था, तो उन्होंने वैध अपेक्षा (legitimate expectation) रखी थी कि वे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आयोजित प्री-पी.जी. प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के भी पात्र होंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत उनका प्रवेश उन्हें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए राज्य कोटा के विरुद्ध प्रवेश मांगने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। राज्य सरकार ने अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने का अपना क्षेत्राधिकार में था। मूल निवासी होने को पात्रता मानदंड के रूप में निर्धारित करने वाले नियमों की संवैधानिक वैधता पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में बरकरार रखी जा चुकी है, अतः केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ताओं के चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय, राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संस्थागत अभ्यर्थी भी राज्य कोटा के विरुद्ध स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र थे, इन नियमों को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है। आक्षेपित नियमों के निर्माण का राज्य का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों को चिकित्सकों की सेवा प्रदान करने की संभावना रखने वाले व्यक्तियों के

वर्ग में से उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना है, साथ ही उन्हें आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना भी है, जहाँ तक इसका युक्तिसंगत रूप से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आक्षेपित नियमों के आधारभूत वर्गीकरण का उद्देश्य स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ के निवासी छात्रों को उनकी शिक्षा की पूर्ति में कुछ हद तक सहायता प्रदान करना है और इसमें कोई विवाद नहीं किया जा सकता कि किसी राज्य के लिए अपनी सीमाओं के भीतर शिक्षा को प्रोत्साहित करना एक वैध और प्रशंसनीय उद्देश्य है। शिक्षा एक राज्य का विषय है, और संविधान के भाग IV में घोषित एक निदेशक सिद्धांत यह है कि राज्य को अपनी अर्थव्यवस्था की सीमाओं के भीतर शिक्षा के लिए प्रभावी प्रावधान करने चाहिए। राज्य को अपने शैक्षणिक संस्थानों के रखरखाव और संचालन के लिए योगदान देना होता है। एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए ऐसे संस्थान को बनाए रखने हेतु पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है। यदि राज्य को इस पर पर्याप्त धन व्यय करना है, तो क्या यह अनुचित है कि वह शैक्षिक प्रणाली को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि इसका लाभ कुछ हद तक कम से कम राज्य के हित में हो? अतः, राज्य द्वारा आरक्षित 50% कोटा के विरुद्ध प्रवेश को इस राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों तक सीमित करने को अनुचित वर्गीकरण नहीं कहा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. उपरोक्त विवेचन के आधार पर, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि नियम, 2004 का नियम 6.2, जैसा कि वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था, न तो असंवैधानिक है और न ही अवैध।

24. वतर्मान याचिका में कोई सार नहीं है, अतः यह खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है ।

सही/ -

श्री धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

सही/-

श्री आर. एन. चन्द्राकर

न्यायाधीश

"अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"

Translated By Yashpal Singh.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur